दिनांक 18.04.2006 को मुख्यालय पर सम्पन्न निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

क0	एजेन्डा बिन्दु	कार्यवाही / कार्यकारी आदेश
1.	उपस्थिति	संलग्न के अनुसार।
2.	सम्बोधन	प्रथम समीक्षा बैठक होने के कारण सभी अधिकारियों का परिचय लिया गया। बैठक में जानकारी दी गयी कि निर्माण खण्डों में कराये जा रहे विकास कार्य के सम्बन्ध में कुछ स्थानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं कराया जा रहा है। गोरखपुर के कार्यो के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है, अपर निदेशक (प्र0) द्वारा जानकारी दी गई कि शीघ्र ही इसकी जॉच कराने के निर्देश निर्गत किये जा रहे है। इसी प्रकार जिन निर्माण खण्डों से कार्यो की शिकायतें प्राप्त होंगी, वहॉ पर प्रभावी ढंग से जॉच करायी जायेगी। जॉच में निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित उत्तरदायी अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। ठेकेदार से निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण कार्य कराया जाये। यदि कोई ठेकेदार इन निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो सम्बन्धित उप निदेशक (नि0) द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय। सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) की समीक्षा बैठक में कुछ मण्डी समितियों के सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त हुई कि वहॉ पर आवश्यकता से अधिक दुकानें निर्मित करा दी गयी हैं जिसके कारण दुकानें रिक्त पड़ी हैं। वहीं कुछ स्थानों पर व्यापारियों की संख्या से कम दुकानें निर्मित होने के कारण व्यापार स्थानान्तरण में कठिनाई हो रही है। मण्डी स्थलों के कार्य मण्डी समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत कराये जाते है। निर्देश दिये गये कि मण्डी की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखकर मण्डी स्थल में दुकानें निर्मित कराई जाये, अनावश्यक निर्माण कार्य न कराया जाये।
3.	लोहिया ग्राम	लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 1000 लोहिया ग्राम निर्मित कराये जाने हैं। लोहिया ग्रामों के सर्वेक्षण के समय प्रस्तावकर्ता जनप्रतिनिधि से प्रस्तावित निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर लिया जाये। मार्ग जो गॉव के बीच से जा रहा है और पेन्टेड नहीं है, उसे वरीयता दी जाये, यह भी स्पष्ट किया गया कि योजना को रू0 10.00 लाख की सीमा तक सीमित रखा जाये परन्तु यह ध्यान में रखा जाय कि परियोजना को रू0 10.00 लाख की सीमा तक लाने के दृष्टिकोण से इसमें गैर–उपयोगी कार्यो की सम्मिलित न किया जाय।
4.	अतिथि गृह	अतिथि गृहों की उपयोगिता के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उपनिदेशक (नि0) बरेली द्वारा मण्डी स्थल, ऑवला में निर्मित अतिथि गृह का संचालन / मण्डी समिति को सौंपे जाने का अनुरोध किया गया। विचार–विमर्श में यह उचित पाया गया कि इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा पूर्व निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाये।
5.	सम्पर्क मार्ग (नवीन / मरम्मत) की प्रगति समीक्षा	प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2005–06 के 214 नवीन सम्पर्क मार्ग तथा 31 पूर्व निर्मित मार्गो के मरम्मत के कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाये हैं। इन कार्यो को माह जून तक पूर्ण किये जाने का आश्वासन सम्बन्धित उपनिदेशक (नि0) द्वारा दिया गया। उपनिदेशक (नि0) गोरखपुर ने बताया कि सम्पर्क मार्ग कौड़ीराम खजनी मार्ग से गोंडसरा के निर्माण पर सिविल जज जूनियर

क्र0	एजेन्डा बिन्दु	कार्यवाही / कार्यकारी आदेश
		डिवीजन, बॉसगॉव द्वारा स्थगन दिये जाने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। स्थगन शीघ्र समाप्त कराये जाने हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये गये। निर्देश दिये गये कि सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्माण हेतु प्रस्तावित मार्ग जिले की किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है, ताकि डुप्लीकेसी से बचा जा सकें। प्राकलन बनाते समय यह ध्यान में रखा जाय कि जो कार्य पहले से हुए हैं, उसे प्राकलन में सम्मिलित न किया जाय। मण्डी परिषद मुख्यालय के स्तर से प्राकलनों की अन्य निर्माण एजेन्सियों से किसी भी समय जांच करायी जा सकती है और यदि निर्माण खण्ड द्वारा बनाया गया प्राकलन गलत पाया गया तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6.	दुग्ध मण्डी	दुग्ध मण्डियों के संचालन पर विस्तार से चर्चा हुई और जानकारी दी गयी है कि उनके संचालन के सम्बन्ध में विपणन अनुभाग–3 से कार्यवाही की जा रही है।
7.	भूमि अधिग्रहण प्रगति।	सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) की समीक्षा बैठक में नवीन मण्डी स्थल निर्माण हेतु कुछ चयनित स्थल व्यापार स्थानान्तरण के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं बताये गये। निर्देश दिये गये कि भूमि चयन समिति के सदस्यों हेतु चेक लिस्ट बना ली जाये। सचिव, मण्डी समिति को भूमि चयन समिति का सदस्य नामित करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाय। जब तक शासन स्तर से सचिव, मण्डी समिति को भूमि चयन समिति का सदस्य नामित करने सम्बन्धी आदेश नहीं हो जाता तब तक भूमि चयन के सम्बन्ध में भूमि चयन समिति सचिव, मण्डी समिति के विचार को भी संज्ञान में लिया करे। (कार्यवाही उपनिदेशक (प्र0–एच0) द्वारा)
8.	शिकायतों की जॉच	अपर निदेशक (प्रशासन) द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर पर 14 तथा अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर 37 जॉचें लम्बित बतायी गयीं। निर्देश दिये गये कि जॉचें इस प्रकार की जायें, ताकि सबसे पुरानी जॉचें पहले निस्तारित हो जायें। यदि कोई अपचारी अभियन्ता जॉच कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं करता है तो उसे अन्तिम अवसर प्रदान कर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जॉच कार्यवाही पूर्ण करके रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये गये।
9.	स्टाफ की तैनाती	उपनिदेशक (नि0) बहराइच ने बताया कि उनके यहॉ एक सहायक अभियन्ता तैनात हैं जो दो निर्माण खण्डों का कार्य देखते हैं। विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपनिदेशक (नि0) अपनी मॉग अपर निदेशक (प्र0) को उपलब्ध करा दें। प्रयास यह किया जाये कि प्रत्येक निर्माण खण्ड में कार्य को दृष्टिगत रखते हुए अवर अभियंता व सहायक अभियंता तैनात रहें। निर्माण खण्डों के वर्कलोड को दृष्टिगत रखकर तकनीकी स्टाफ की तैनाती की जाये। (कार्यवाही उपनिदेशक (प्र0–वी0) द्वारा)
10.	मण्डी स्थलो के मरम्मत सम्बन्धी कार्य।	उपनिदेशक (नि0) कानपुर ने मण्डी स्थल की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत, फड़ों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता बतायी गयी। इसी प्रकार अछल्दा में एप्रोच रोड के निर्माण की आवश्यकता बतायी गयी। निर्देश दिये गये कि इनके आगणन नियमानुसार प्रस्तुत किये जायें तथा मुख्यालय पर परीक्षण के उपरान्त इनके स्वीकृति पर विचार किया जाये। उपनिदेशक (नि0) बरेली ने फल सब्जी मण्डी स्थल, बरेली में मरम्मत कार्य कराये जाने की आवश्यकता बतायी गयी। मण्डी समिति, बरेली ऋणात्मक स्थिति में है।

क0	एजेन्डा बिन्दु	कार्यवाही/कार्यकारी आदेश
		उपनिदेशक (नि0) सीतापुर ने मण्डी स्थल मैगलगंज की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता बतायी गई। बैठक में निर्देश दिये गये कि जहाँ–जहाँ मरम्मत के कार्य कराये जाने की आवश्यकता है उनके आगणन व प्रस्ताव मुख्यालय को उपलब्ध करा दिये जाय, ताकि उनका परीक्षण कराकर वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखकर स्वीकृतियाँ दी जा सकें। इसमें यह ध्यान में रखा जाय कि गैर आवश्यकता वाले कार्यो का प्रस्ताव कदापि न प्रेषित किया जाय।
11.	सूचना का अधिकार	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की व्यवस्था के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी तथा सहायक जनसूचना अधिकारी नामित करने विषयक परिषद पत्रांक 73 दिनांक 18.04.06 निर्गत किया गया है जिसमें समस्त उपनिदेशक (नि0/वि–यॉ0) के कार्यालय में सहायक अभियन्ता को जनसूचना अधिकारी बनाया गया है। जन सूचना अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह विलम्बतम् दो सप्ताह के भीतर कार्यालय के बाहर निर्धारित प्रारूप पर सूचना पट्टिका लगवाना अथवा वालपेन्टिंग कराना सुनिश्चित करें, ताकि जन सामान्य को सूचनाएँ प्राप्त करने में विलम्ब एवं असुविधा न हो। प्रदेश के निर्माणाधीन कार्यो को वेब साइट पर रखा जाय तथा प्रत्येक माह उनको अद्यतन संशोधित कराया जाय।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

ह0/–
(सीताराम यादव)
अपर निदेशक (प्रशासन)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांकः मु0अभि0/बैठक/2006–313 दिनांक : 06.05.2006

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री सत्येन्द्र तिवारी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को परिषद पत्रांक क0से0/वेब साइट/2006–1054 दिनांक 03 फरवरी, 2006 के कम में एक हार्ड एवं साफ्ट कापी सहित इस निर्देश के साथ कि तत्काल इसे परिषद के वेब साइट www.upmandiparishad. in पर डालने का कष्ट करें।
2. उपनिदेशक(प्र0–वी0)/(एच0) मण्डी परिषद मुख्यालय।
3. अधीक्षण अभियन्ता मण्डी परिषद, मुख्यालय।
4. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
5. निजी सचिव, निदेशक/ अपर निदेशक (प्र0)/ वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद।
6. आदेश/गार्ड फाइल।

ह0/–
अपर निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 18.04.2006 को विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की उपस्थिति

क0	नाम सर्व श्री–	पद नाम	
1.	देवेश चतुर्वेदी	मण्डी निदेशक	
2.	सीताराम यादव	अपर निदेशक (प्रशासन)	
3.	एम0एस0सिद्‌दीकी	वित्त नियंत्रक	
4.	हर्ष वर्धन	मुख्य अभियन्ता	
5.	उदय प्रताप सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	
6.	राधेश्याम शर्मा	उपनिदेशक (निर्माण)	मुख्यालय
7.	अनिरूद्व	उपनिदेशक (निर्माण)	मुख्यालय
8.	पी0सी0 जैन	उपनिदेशक (निर्माण)	मुख्यालय
9.	अमर नाथ नकरा	उपनिदेशक (निर्माण)	मुख्यालय
10.	एस0एन0 मिश्र	उपनिदेशक (निर्माण)	लखनऊ–1
11.	पवन कुमार	उपनिदेशक (निर्माण)	लखनऊ–2
12.	अशोक कुमार	उपनिदेशक (निर्माण)	अनुरक्षण खण्ड
13.	एस0आर0 सक्सेना	उपनिदेशक (निर्माण)	लखनऊ–3
14.	जे0 के0 सिंह	उपनिदेशक (निर्माण)	बुलन्दशहर
15.	तदैव	उपनिदेशक (निर्माण)	गाजियाबाद
16.	अतर सिंह	उपनिदेशक (निर्माण)	कानपुर देहात
17.	वी0पी0 सिंह	उपनिदेशक (निर्माण)	मुरादाबाद
18.	एस0एन0पी0 यादव	उपनिदेशक (निर्माण)	बदायूँ
19.	आर0एस0 त्यागी	उपनिदेशक (निर्माण)	सहारनपुर
20.	ए0के0 कपूर	उपनिदेशक (निर्माण)	वाराणसी
21.	वी0के0 सक्सेना	उपनिदेशक (निर्माण)	पीलीभीत
22.	हाकिम सिंह	उपनिदेशक (निर्माण)	फिरोजाबाद
23.	सत्य प्रकाश	उपनिदेशक (निर्माण)	अलीगढ़
24.	गोपाल शंकर	उपनिदेशक (निर्माण)	फर्रूखाबाद
25.	रघुवीर शर्मा	उपनिदेशक (निर्माण)	बरेली
26.	आर0 सी0 वर्मा	उपनिदेशक (निर्माण)	शाहजहॉपुर
27.	हरी राम	उपनिदेशक (निर्माण)	रामपुर
28.	हाकिम सिंह	उपनिदेशक (निर्माण)	आगरा
29.	बी0एन0शर्मा	उपनिदेशक (निर्माण)	गोरखपुर
30.	स्वामीनाथ	उपनिदेशक (निर्माण)	बस्ती
31.	राम सिंह	उपनिदेशक (निर्माण)	फैजाबाद
32.	शिव बहादुर	उपनिदेशक (निर्माण)	बहराइच
33.	सुबोध चन्द्र मिश्र	उपनिदेशक (निर्माण)	मेरठ
34.	आर0एस0 वर्मा	उपनिदेशक (निर्माण)	झॉसी
35.	तदैव	उपनिदेशक (निर्माण)	बॉदा
36.	फखरे आलम	उपनिदेशक (निर्माण)	आजमगढ़
37.	मो0 मुख्तार	उपनिदेशक (निर्माण)	सुल्तानपुर
38.	आर0एस0 यादव	उपनिदेशक (निर्माण)	सीतापुर
39.	बी0आर0 सिंह	उपनिदेशक (निर्माण)	कानपुर नगर
40.	आर0 बी0 सिंह	उपनिदेशक (निर्माण)	मिर्जापुर
41.	बी0 आर0 यादव	उपनिदेशक (वि0/यां0)	लखनऊ
42.	एल0 के0 गुप्ता	उपनिदेशक (वि0/यां0)	बरेली
43.	अवधेश सिंह	उपनिदेशक (वि0/यां0)	गाजियाबाद
44.	ए0 के0 सिंह	उपनिदेशक (वि0/यां0)	इलाहाबाद
45.	शिव चरन लाल	सहायक अभियन्ता	इलाहाबाद
46.	आर0के0 पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	मुख्यालय
47.	आर0सी0 चौधरी	सहायक अभियन्ता	मुख्यालय
48.	डी0पी0 जायसवाल	अनुभाग अधिकारी	निर्माण अनुभाग